

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के प्रमाण-पत्र का प्रपत्र

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती-----निवासी ग्राम-----

-----तहसील-----नगर-----

जिला-----"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993" के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/ श्रीमती/ कुमारी (आश्रित) -----पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरोक्त अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) -----के आश्रित हैं।

स्थान-

दिनांक-

हस्ताक्षर-----

पूरा नाम-----

पदनाम-----

मुहर-----

जिलाधिकारी (सील)

प्रेषक,

राजीव कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2

लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2015

विषय:- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित को राज्याधीन लोक सेवाओं में आरक्षण प्राप्त करने हेतु दिये जाने वाले आश्रित प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महोदय,

"उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2015" के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पुत्री के पुत्र एवं पुत्री को सम्मिलित किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के "आश्रित" जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड (ख) में परिभाषित है, को निर्धारित प्रारूप (संलग्न) में सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण-पत्र निर्गत किये जायें।

3- अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त से अपने अधीनस्थ प्राधिकारियों/ अधिकारियों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-5/ 2015/ 18/ 1/ 2008-का-2/ 2015, तददिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
- 2 प्रमुख सचिव/ सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
- 3 निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।

- 4 निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
- 5 प्रमुख सचिव, विधान परिषद/ विधानसभा, उत्तर प्रदेश।
- 6 सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7 सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 8 निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
- 9 वेब अधिकारी/ वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, 30प्र0।
- 10 संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशवाग, लखनऊ को 2000 प्रतियाँ मुद्रित कराकर कार्मिक अनुभा-2 को उपलब्ध कराने हेतु।
- 11 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- 12 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रघुनाथ सिंह परिहार)

उप सचिव।

http://sharadkumar.com